संख्या-4/2023/308/63-व0उ0-2023-4(एच)/2022

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊः दिनांकः 24 फरवरी, 2023

विषयः- पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) योजना के अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (P.M. MITRA) योजना शुरू की गयी है। इस योजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी सहमति दी गयी है। इसके जनपद लखनऊ एवं हरदोई क्षेत्र में अवस्थित 1000 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत हैः-
जनपद लखनऊ में चिन्हित भूमि का विवरण निम्नवत है :-

I. ग्राम आंटगढी सौरा परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ मे स्थित भूमि संख्या खतौनी 1429-1434फ0 फार्म दर्ज अभिलेख है। जिसकी गाटा सं0 1480/3.275, 1481/0.095, 1488/0.759,1490/51.972,1491/3.022,1874/1.733 हे0 तथा गाटा सं0 1998/55.320 हे0 मे से रकबा 1 हेक्टेयर मे आबादी बनी है। कुल 07 किता रकबा 115.176 हे0 (284.606 एकड़) भूमि रिक्त है।

II. ग्राम अटारी परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ मे स्थित भूमि नान जेड0ए0 कृषि फार्म दर्ज अभिलेख है। जिसकी गाटा संख्या 1/4.577, 2/3.149, 30/4.895, 31/14.941 हे0 कुल 04 किता रकबा 27.562 हे0 (68.107 एकड़) भूमि रिक्त है।

III. ग्राम रूदानखेड़ा परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ मे स्थित भूमि नान जेड0ए0 राजकीय कृषि फार्म दर्ज अभिलेख है। जिसकी गाटा सं0 2/13.784, 30/7.969, 34/2.731, 51/0.443 हे0 कुल 04 किता रकबा 24.927 हे0 (61.595 एकड़) भूमि रिक्त हैं।

IV. ग्राम विशुनपुर परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ मे स्थित भूमि नान जेड0ए0 राजकीय कृषि फार्म दर्ज अभिलेख है। जिसकी गाटा सं0 12/0.202, 13/0.038, 19/0.355, 20/0.134, 21/1.133, 22/1.139, 23/0.367, 24/0.051, 25/0.266, 26/0.278, 27/3.080, 33/6.757, 40/0.177, 41/0.228, 42/0.202, 79/0.202, 80/2.213, 81/0.253, 82/0.266, 83/0.013, 84/4.186, 85/2.782, 86/0.582, 87/0.797,

88/0.620, 89/0.316, 90/0.139, 271/4.299, 277/3.338, 282/0.493 हे0 कुल 30 किता रकबा 34.906हे0 (86.254 एकड़) भूमि रिक्त है।

V. ग्राम जिन्दाना परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ मे स्थित भूमि नान जेड0ए0 सरकारी कृषि फार्म दर्ज अभिलेख है। जिसकी गाटा सं0 369/37.489हे0 (92.637 एकड़) भूमि रिक्त है।

VI. ग्राम पारा भदराही परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ मे स्थित भूमि नान जेड0ए0 फार्म कटियार दर्ज अभिलेख है। जिसकी गाटा सं0 1/51.218, 282स/0.152, 298/2.231, 307/3.523, 311/2.268, 314स/8.679हे0 कुल 6 किता रकबा 68.471हे0 (169.195 एकड़) भूमि रिक्त है।

VII. ग्राम सालेहनगर परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ मे स्थित भूमि नान जेड0ए0 राजकीय कृषि फार्म दर्ज अभिलेख है। जिसकी गाटा सं0 162/0.531, 163/1.733, 165/1.701, 245/2.060, 248/2.295, 249/0.154, 250/0.081, 251/3.846, 252/3.744, 253/4.782, 254/0.873, 255/0.266, 256/0.443, 257/0.506, 258/2.770, 259/2.631, 260/4.883, 261/2.479, 262/3.668, 263/2.239, 264/0.408, 265/0.377, 266/0.595, 267/3.403, 268/1.947, 269/3.820, 270/2.706, 271/0.202, 272/0.139, 273/0.139, 274/0.582, 275/0.479, 895/1.758, 896/0.278, 897/2.168, 898/0.066, 899/0.308, 900/2.783, 901/2.758हे0 तथा गाटा सं0 940/2.150हे0 गाटा सं0 968/1.583हे0 मे से रकबा 1.012हे0 भूमि पर आवासीय मकान बने है। शेष 72.968हे0 (180.307 एकड़) भूमि रिक्त पड़ी है।

VIII. ग्राम शाहमऊ परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ मे स्थित भूमि नान जेड0ए0 गाटा सं0 1/8.802, 2/8.401, 4घ/0.114, 16/17.084, 22/2.099, 56/0.076हे0 कुल 06 जनपद हरदोई में चिन्हित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

I. ग्राम कटियार पर0 गोड़वा तहसील सण्डीला में स्थित राजकीय कृषि फार्म के रूप में खतौनी दर्ज अभिलेख है, जिसकी गाटा संख्या-159/1.101, 161/0.290, 162/2.897, 163/0.050, 164/0.290, 165/0.224, 171/0.220, 172/0.151, 173/1.796, 221/5.313, 222/0.164, 223/0.126, 224/0.176, 225/0.085, 226/0.164, 227/0.078, 228/1.115, 229/0.392, 230/0.089, 231/4.807, 233/3.392, 234/0.089, 235/0.557, 236/3.452, 237/5.805, 238/3.504, 239/0.177, 240/0.177, 241/0.151, 242/0.151, 243/0.253,244/0.126, 245/0.139, 246/0.126, 247/0.126, 248/0.025 कुल 36 किता रकबा 37.778 हे0 जिसमें से गाटा संख्या-173/1.769 में से 0.800 गाटा संख्या-231 रकबा 4.807 में से 0.820हे0, 233/3.392 में से 0.136हे0, 236/3.452 में से 0.322हे0 कुल 2.078हे0 भूमि पर 50 वर्ष पूर्व के कच्चे व पक्के आवासीय मकान बने हैं तथा शेष भूमि 35.7हे0 (88.21एकड़) भूमि मौके पर रिक्त है।

II. ग्राम रैकवारखेड़ा परगना गोड़वा तहसील सण्डीला जिला हरदोई में स्थित भूमि राजकीय कृषि फार्म के रूप में दर्ज अभिलेख है, जिनकी गाटा संख्या-146/3.086, 147/1.859, 148/3.237, 150/2.693, 188/1.770, 197/3.540, 198/0.506, 199/2.6810, 235/3.780, 236/3.465, 237/3.578, 238/6.918, 239/3.199, 240/3.187, 241/3.781, 242/2.2250, 243/2.213 कुल 17 किता रकबा 51.716हे0 (127.79 एकड़) है, भूमि मौके पर रिक्त है।

III. ग्राम हड़हा परगना गोड़वा तहसील सण्डीला जिला हरदोई में राजकीय कृषि फार्म के रूप में दर्ज भूमि गाटा संख्या-574/3.946, 628/0.632, 629/1.268, 630/5.426, 631/8.819, 632/1.176 कुल 06 किता रकवा 16.267हे0 (40.19 एकड़) है। भूमि मौके पर रिक्त है।

IV. ग्राम पवांया परगना गोड़वा तहसील सण्डीला जिला हरदोई में भूमि राजकीय कृषि फार्म के रूप में अभिलेख है, जिसकी गाटा संख्या-808/2.908, 814/2.112, 815/0.177, 839/0.177, 840/0.354, 841/1.429, 842/0.341, 1367/6.083, 1368/0.304, 1370/2.997, 1372/23.108, 1373/0.726, 1374/0.455, 1375/13.026, 1380/0.032, 1381/0.278, 1382/0.190, 1421/0.076, 1422/0.051, 1423/16.914, 1432/4.723, 1433/0.556, 1434/17.148, 1435/0.620, 1436/44.862, 1437/0.455, 1438/14.945, 1443/0.130, 1444/3.177, 1484/0.108, 1485/0126, 1486/0.237, 1489/0.316, 1490/0.095, 1491/0.223, 1492/1.359, 1493/3.844, 1494/23.908, 1496/31.315, 1497/0.348, 1498/21.012 कुल 41 किता रकबा 246.246हे0 (608.49एकड़) भूमि है, भूमि मौके पर रिक्त है।

7- जनपद हरदोई की सीमा के अन्दर का कुछ भाग तथा (ग्राम आंटगढ़ी सौरा, ग्राम अटारी, ग्राम रूदानखेड़ा, ग्राम विशुनपुर, ग्राम जिन्दाना, ग्राम पारा भदराही, ग्राम सालेहनगर, ग्राम शाहमऊ) तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के कुल 72 गाटे रकबा 418.075 हे0 (1033.082 एकड़) भूमि पर पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क योजना के अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाना है। उक्त भूमि को चिन्हित करते हुए उपर्युक्त भूमि में से हरदोई जनपद की 259.09 एकड़ तथा लखनऊ जनपद की 903.07 एकड़ कुल भूमि 1162.16 एकड़ भूमि मे से 1000 एकड़ भूमि कृषि विभाग द्वारा निःशुल्क हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा। शेष भूमि कृषि विभाग के उपयोग में रहेगी।

8- उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि के लिये कल्याणकारी कार्यो हेतु रू0 20.00 करोड़ सीड मनी के रूप में दिये जाने की व्यवस्था बजट के माध्यम से की जा रही है।

9- उक्त टेक्सटाइल पार्क के क्रियान्वयन हेतु एक स्पेशल पर्पस वेहकिल (एस0पी0वी0) का गठन किया जायेगा। इस हेतु रू0 10.00 करोड़ (पेड अप कैपिटल) की व्यवस्था की जानी है जिसमें 51 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश सरकार का होगा तथा 49 प्रतिशत अंश भारत सरकार का होगा। स्पेशल पर्पज वेहकिल (एस0पी0वी0) का गठन कम्पनी एक्ट-2013 के अन्तर्गत होगा। स्पेशल पर्पज वेहकिल (एस0पी0वी0) के गठन में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0

शासन इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0) तथा सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली इसमें अध्यक्ष (चेयरमैन) होंगे। उक्त टेक्सटाइल पार्क हेतु स्पेशल पर्पस वेहकिल (एस0पी0वी0) का गठन करके सम्बन्धित भूमि (एस0पी0वी0) को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। तदोपरान्त मास्टर डेवलपर का चयन करके अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी तथा भारत सरकार के द्वारा दिये गये अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पी0पी0पी0 मोड पर टेक्सटाइल पार्क को विकसित किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव के अनुसार निम्ननानुसार कार्यवाही की जानी है :-

i- मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क स्थापित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से राज्य सरकार के साथ साझेदारी में ग्रीनफील्ड/ ब्राउन फील्ड साइटों में पीएम मित्रा योजना स्वीकृत की गयी है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पी0एम0 मित्र पार्क विकसित किये जाने हेतु 1000 एकड़ भूमि SPV को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

ii- SPV को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जायेगा, जिसमे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की क्रमशः 51:49 इक्विटी शेयरधारिता होगी। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी शेयरधारिता के अनुपात में एस0पी0वी0 की कुल पेड-अप कैपिटल रू 10.00 करोड़ की होगी।

iii- SPV के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि होंगे। अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0) के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। एस0पी0वी0 के निदेशक मंडल की प्रस्तावित सदस्य संरचना निम्नवत होगी :-

1- सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार - अध्यक्ष

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग,उ0प्र0 शासन-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन।

4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

9- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा और वस्त्रोद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

10- विशेष सचिव,हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,उ0प्र0 शासन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ)

11- अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित स्वतंत्र निदेशक-वस्त्र क्षेत्र से सम्बन्धित।

V- SPV से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो हेतु विभागीय अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर कार्य एवं दायित्व के निर्वहन हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे एवं निदेशक मंडल के प्रति जवाबदेह होंगे। SPV के द्वारा आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की नियुक्ति की जा सकती है।

Vi- SPV का नाम "संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड" होगा।

Vii- एस0पी0वी0 के प्रमुख कार्य और जिम्मेदारियां निम्नवत है :-

1) पीएम मित्र पार्क के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप तैयार करना, समग्र कार्यों की निगरानी करना, संचालन करना, समीक्षा करना एवं विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
2) समयबद्ध तरीके से योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना।
3) एस0पी0वी0 परियोजना की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी अध्ययन यथा - Detailed Project Report (DPR) Techno-Economic Feasibility Study, Environment Impact Assessment/Enviroment Clearance etc. करने के लिए सलाहकारों/एजेंसियों का चयन एवं नियुक्ति करेगा।
4) एस0पी0वी0 परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के पीएम मित्र पार्क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार Public Private Partnership (PPP) मोड पर Design –Built- Finance-Operate – Transsfer (DBFOT) मॉडल या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य मॉडल की तर्ज पर विकसित करेगा, जिस हेतु एसपीवी द्वारा Transaction Advisor नियुक्त किया जायेगा। Transaction Advisor पार्क के कार्यान्वयन हेतु सर्वोत्तम संभव मॉडल का सुझाव देने, Bid Document (RFP, Concession Agreement etc.) तैयार करने, प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने तथा मास्टर डेवलपर के चयन करने में एसपीवी की सहायता करेगा।
5) एस0पी0वी0 एवं चयनित मास्टर डेवलपर के मध्य Concession Agreement किया जायेगा। पार्क में स्थापित होने वाली वस्त्र इकाईयों एवं अन्य उपयोगकर्ता से आवश्यक निर्धारित शुल्क मास्टर डेवलपर द्वारा लिया जायेगा। मास्टर डेवलपर एस0पी0वी0 को अग्रिम प्रीमियम, लीज रेन्टल इत्यादि Concession Agreement के अनुसार देता रहेगा।
6) एस0पी0वी0 द्वारा परियोजनाओं को तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदित/स्वीकृत किया जायेगा तथा चयनित एजेंसियों को निधियां जारी किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

24.2.2023

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 308 (1)/63व030-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,कृषि/समाज कल्याण/सिंचाई/वित्त/नियोजन/पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन/नगर विकास/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम/ऊर्जा/श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- विशेष सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।